

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, मेरठ परिमण्डल, मेरठ।

पत्रांक- 1942/ग्रा0अ0से0/निविदा/2009-10/

दिनांक: 01-12-2009

निविदा सूचना

- राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 की ओर से अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, परिमण्डल मेरठ द्वारा प्रतिथत दर पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में रजिस्टर्ड श्रेणी-ए,बी एवं सी के अर्ह एवं अनुमोदित ठेकेदारों से निविदा मांगी जाती है। निविदादाता किसी भी अथवा सभी कार्यों के लिए निविदा दे सकता है। निविदादाता को सलाह दी जाती है कि वह न्यूनतम अर्हता के सम्बन्ध में निविदादाता निर्देश पुस्तिका में वर्णित ठेका प्राप्त करने के नियमों से अवगत हो लें।
-

क्र० सं०	जनपद	कार्य का नाम	आंकलित धनराशि (रु० लाख में)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	कार्य सम्पादन हेतु अधिथासी अभियन्ता का पता	अधीक्षण अभियन्ता का पता	जिलाधिकारी का पता	मुख्य अभियन्ता का पता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मेरठ	रू0ब0भ0प0 कृषि विश्व विद्यालय मोदीपुरम् में अन्तर्राष्ट्रीय हॉस्टल का निर्माण कार्य।	75.00	1.50	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, विकास भवन, मेरठ	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, थापर नगर, मेरठ	जिला अधिकारी मेरठ	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, जवाहर भवन, तृतीय तल लखनऊ

- बरसात के मौसम को सम्मिलित करते हुये कार्य को पूर्ण करने का समय 8 माह है।
- निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि से 90 दिवस (तीन माह) के लिए निविदा वैध रहेगी। जमा की गयी निविदा को वापस नहीं लिया जा सकता है।
- निविदा प्रपत्र सेट को संबंधित अधिथासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, जिलाधिकारी एवं मुख्य अभियन्ता के कार्यालय से उपरोक्तानुसार कालम 6,7,8 व 9 में क्रमथः वर्णित पते से सम्बन्धित कार्य हेतु प्रातः 11.00 बजे से 4.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस पर दि० 21.12.09 से 23.12.09 तक गैर वापसी रु० 2000.00 (रुपया दो हजार मात्र) स्टेशनरी शुल्क एवं निविदा प्रपत्र शुल्क नियमानुसार वैट सहित प्रति कार्य हेतु कैश अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट जमा करके प्राप्त कर सकता है। डिमान्ड ड्राफ्ट किसी भी थिड्यूल बैंक से अधिथासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, मेरठ के पक्ष में होना चाहिए। इच्छुक निविदादाता अन्य सूचना कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं जहाँ से निविदा प्रपत्र खरीदा गया है। निविदा प्रपत्र भेजने का अनुरोध डाक द्वारा किया जाता है तो निविदा निविदा दाता को रजिस्ट्री/स्पीड पोस्ट हेतु रु० 200.00 प्रति सेट अतिरिक्त रूप से देना होगा। डाक द्वारा निविदा प्रपत्र भेजने संबंधित आवेदन पत्र दिनांक 22.12.09 की साँय 4.00 बजे तक स्वीकार किया जायेगा। निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी डाक द्वारा प्रपत्र न प्राप्त होने के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। निविदा प्रपत्र वेब साइट (www.uppwd.up.nic.in) से डाउन लोड करके प्राप्त किये जा सकते हैं किन्तु इसके लिये निविदा दाता को किसी भी शेड्यूल बैंक से जारी रु० 2000.00 बैंक ड्राफ्ट अधिथासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, मेरठ के पक्ष में मेरठ में देय निविदा के साथ संलग्नकर भेजना होगा। यदि निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउनलोड किये जाते हैं तो ड्राइंग सम्बन्धित अधिथासी अभियन्ता अथवा अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय में क्रमथः कालम नं० 6 व 7 में वर्णन के अनुसार सम्बन्धित कार्य हेतु प्राप्त की जा सकती है।

D.I.C.NIC.

Please upload Document on the District Secret

website.

मुख्य विकास अधिकारी
मेरठ


6. वेब साइट से डाउन लोड किये गये निविदा प्रपत्र व सम्बन्धित अधिथासी अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता के पास उपलब्ध निविदा प्रपत्र में कोई भिन्नता / कमी होती है तो ऐसी स्थिति में कार्यालय में उपलब्ध निविदा प्रपत्र को सही / विश्वसनीय माना जायेगा।
7. निविदायें कार्यालय कार्यकारी अधिथासी अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता या जिलाधिकारी, मुख्य अभियन्ता कार्यालय में सारणी में वर्णित कालम 6,7,8 व 9 के अनुसार सम्बन्धित कार्य हेतु दिनांक 24.12.09 के 12.00 बजे दोपहर तक जमा की जा सकती है। तकनीकी निविदा अगले कार्य दिवस दिनांक 26.12.09 को 12.30 बजे अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय में निविदादाताओं के समक्ष खोलने की तिथि में कार्यालय बन्द रहता है तो निविदा अगले कार्य दिवस में प्राप्त की जायेगी अथवा खोली जायेगी। वित्तीय निविदा खोलने की तिथि की सूचना कालम 7 में वर्णित अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर अर्ह एवं पात्र ठेकेदारों को सूचना चस्था / लगाई जायेगी। वित्तीय निविदा अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय में कालम 7 के अनुसार इच्छुक ठेकेदारों के समक्ष खोली जायेगी।
8. निविदा पूर्व बैठक प्रत्येक कार्य हेतु दिनांक 23.12.2009 को 12.00 बजे दोपहर अधिथासी अभियन्ता कार्यालय कालम 6 के अनुसार सम्बन्धित कार्य के संबंध में विभिन्न पहलुओं के स्पष्टीकरण, प्रश्नोत्तर आदि हेतु निविदादाता निर्देश पुस्तिका के क्लाज संख्या-9.2 के अनुसार आयोजित की जायेगी।
9. सारणी में वर्णन के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु वांछित निविदा सेक्योरिटी धनराशि निविदा के साथ अवश्य संलग्न की जानी है। निविदा सेक्योरिटी धनराशि निविदा प्रपत्र में वर्णित किसी एक रूप में होना चाहिए तथा यह निविदा की वैधता के 45 दिवस बाद तक अवश्य वैध रहना चाहिए।
10. निविदादाता को उस वृत्त क्षेत्र में निविदा देने का अधिकार नहीं है जिसमें उसके सगे संबंधी एवं उसके परिवार के लोग खण्डीय लेखाधिकारी या अधीक्षण अभियन्ता के ग्रेड से लेकर जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात है।
11. कोई भी राजपत्रित अभियन्ता या अन्य राजपत्रित अधिकारी जो अभियन्ता अथवा प्रशासनिक कर्तव्यों का निर्वाहन राज्य अभियन्त्रण विभाग/ केन्द्र सरकार में कर रहा है उसको सेवा से अवकाथ प्राप्त करने के उपरान्त दो वर्ष तक बिना सरकार की अनुमति के ठेकेदारी करने की अनुमति नहीं है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि या तो ठेकेदार अथवा उसके कर्मचारियों द्वारा उक्त परिस्थितियों में सरकार से कोई अनुमति निविदा डालने / ठेकेदारी हेतु प्राप्त नहीं की है तो ऐसे व्यक्तियों के ठेकों को निरस्तीकरण योग्य माना जायेगा।
12. निविदा प्रपत्र तथा अन्य विवरण जिसमें निविदादाता हेतु योग्यता, अर्हता का तरीका, प्लान, विशिष्टियाँ, ड्राइंग, विभिन्न श्रेणी के कार्यों की मात्रा का शिड्यूल तथा निविदा नियम व शर्तों का सेट सम्मिलित है, जिसको निविदादाता को अनुपालन करना है को किसी भी कार्य दिवस पर दि० 21.12.09 से 23.12.09 तक पूर्वाह्न 11.00 बजे से 4.00 बजे तक अधिथासी अभियन्ता कार्यालय में सारणी के कालम 6 में वर्णन के अनुसार प्रत्येक कार्य के संबंध में देखा जा सकता है।
13. कोई भी निविदादाता जिसका अपराधिक इतिहास है उसको निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
14. कोई भी निविदादाता जो किसी राज्य बार काउन्सिल में रजिस्टर्ड है को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है।

अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
मेरठ परिमण्डल, मेरठ ।
उ०प्र० राज्य पाल महोदय के लिए एवं उनकी
ओर से

पत्रांक एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड मेरठ को इस निर्देश के साथ कि आपको उक्त निविदा खोलने हेतु अधिकृत किया जाता है, कृपया निविदा खोलने के उपरान्त पत्रावली परिमण्डल कार्यालय को उपलब्ध करायें।
- 2- समस्त सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड मेरठ ।
- 3- जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ ।
- 4- निदेशक/मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ ।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय/निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मेरठ ।
- 6- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, (एन0आई0सी0) मेरठ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस निविदा को अपनी वेबसाइट पर डालने की कृपा करें।
- 7- कैशियर, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड मेरठ ।
- 8- नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।


अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण अभियंत्रण सेवा,
मेरठ परिमण्डल मेरठ ।